न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 212/2020
3. उनवान : सरकार जरिये जयराम गुर्जर, प्रवर्तन निरीक्षक

बनाम

1. मैसर्स सीताराम मीणा पुत्र श्री लादूराम मीणा प्राधिकृत उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत चैनपुरा अस्थाई अटैचमन्ट ग्राम पंचायत हिरनोदा।
2. पिकअप मालिक (अनाम) आरजे13–जीए–6400
3. पिकअप ड्राइवर (अनाम) आरजे13–जीए–6400
4. कुलदीप मीणा, निलंबित उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत हिरनोदा, सांभर।

4. निर्णय दिनांक : 18.01.2023
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
   ब) अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार मांडया अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, सांभर, जयपुर श्री जयराम गुर्जर द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 30.03.2014 को आम जनता की सूचना पर हिरनोदा के पूर्व राशन डीलर कुलदीप मीणा द्वारा संचालित दुकान के बाहर खडी पिकअप महिन्द्रा मैक्स नं. आरजे–13–जीए–6400 की जांच की। जिसमें एफसीआई मार्का लगे प्लास्टिक के 50 किग्रा. क्षमता के 35 कट्टे मिले। गाडी में ड्राइवर व मालिक नहीं मिलने से गाडी को डिटेन कर थाने लाया गया। तत्पश्चात सूचना मिलने पर प्रवर्तन निरीक्षक जांच दल के साथ दिनांक 31.03.2014 को थाने पहुंचे। मौके पर खडी पिकअप की जांच करने पर उक्त 35 कट्टों में कुल 17.50 क्विं गेहूं मिले। पुलिस तहरीर के अनुसार यह गेहूं ग्राम पंचायत हिरनोदा के अस्थाई डीलर श्री सीताराम मीणा के हैं जो कि राशन की दुकान पर राशनकार्डधारकों को बेचे जाने थे। किन्तु उसके द्वारा दिनांक 30.03. 2014 को निजी लाभार्थ कालाबाजारी की नीयत से अन्यत्र ले जाया जा रहा था किन्तु आम जनता द्वारा इस गाडी को रोक लिया गया। मौके पर पुलिस को कुलदीप मीणा जो कि कालाबाजरी में शामिल था, की बिना नम्बर की मोटरसाईकिल भी मिली। इसके आधार पर दिनांक 31.03.2014 को ग्राम पंचायत हिरनोदा की अस्थाई उचित मूल्य दुकान जो कि कुलदीप मीणा की दुकान में संचालित है, का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। मौके पर राशन के गेहूं, वितरण रजिस्टर 59.86 क्वि. के विरुद्ध भौतिक सत्यापन पर 25.77 क्विं. कम मिले। इसी प्रकार नीला केरोसीन तेल, वितरण रजिस्टर 321 ली. के विरुद्ध भौतिक सत्यापन पर 266 ली. कम मिला। मौके पर उपस्थित अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा इस संबंध में कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया ना ही वैध दस्तावेज पेश किये गये। ऐसी स्थिति में पिकअप महिन्द्रा मैक्स नं. आरजे–13–जीए–6400 व उसमें रखे हुये प्लास्टिक के 50 किग्रा. क्षमता के 35 कट्टे मय 17.50 क्विं गेहूं जब्त किये गये। प्रार्थी द्वारा फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, एफ. आई.आर. आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत अन्तरिम निस्तारण करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से दिनांक 16.04.2014 को अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार मांडया ने उपस्थिति दी। दिनांक 03.04.2014 को श्री रामावतार शर्मा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र पेश कर स्वयं को जब्त गाडी का मालिक बताते हुये सुपुर्दगीनामे/जमानतनामे पर रिलीज करने का प्रार्थनापत्र पेश किया। जिसमें रुपये 3,50,000/– का जमानतनामा पेश करने पर दिनांक 13.04.2014 को माननीय न्यायालय द्वारा जब्त गाडी के मोचन आदेश(रिलीज आर्डर) जारी किये गये। अप्रार्थीगण/अभिभाषकगण की ओर से आदिनांक तक कोई जवाब पेश नहीं किया गया। तत्पश्चात प्रकरण जवाब/बहस हेतु नियत किया गया। लम्बे समय तक पत्रावली बहस हेतु नियत

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

रहने के दौरान बार–बार आवाज लगवाई गयी। इस पर भी अप्रार्थीगण/अभिभाषकगण अनुपस्थित रहे। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा विभागीय प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए फर्द जब्ती के अनुसार जब्त माल को मय वाहन राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 18.01.2023 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 31.03.2014 को जब्त पिकअप द्वारा राशन के गेहूं की कालाबाजारी की जा रही थी। अप्रार्थीगण द्वारा जब्त वस्तुओं की वैधता के संबंध में मौके पर और आदिनांक तक कोई साक्ष्य सबूत उपलब्ध नहीं करवाये गये तथा कोई सन्तोषप्रद जवाब भी नहीं दिया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की उचित मूल्य की दुकान जिसके मालिक अप्रार्थी संख्या 4 है के वितरण रजिस्टर व भौतिक सत्यापन में गेहूं व केरोसीन कम मिलना साथ ही राशन के गेहूं के 35 कट्टे 17.50 क्विं मय पिकअप के उनकी दुकान के बाहर मिलना यह साबित करता है कि डीलर सीताराम उसके सहयोगियों के साथ मिलकर पिकअप में लदाकर कालाबाजारी हेतु उक्त गेहूं के कट्टे को कहीं अन्यत्र ले जाया जा रहा था। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी वाहन के अलावा अन्य जब्त सामग्री के संबंध में कोई क्लेम आज तक पेश नहीं किया गया है। अप्रार्थीगण का ऐसा कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 का उल्लंघन है। ऐसी स्थिति में फर्द जब्ती से जब्त वस्तुओं के संबंध में सन्तोषप्रद जवाब अथवा कोई वैध दस्तावेज अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रार्थी द्वारा जब्त सामान पिकअप महिन्द्रा मैक्स नं. आरजे–13–जीए–6400 व उसमें रखे हुये प्लास्टिक के 50 किग्रा. क्षमता के 35 कट्टे मय 17.50 क्विं गेहूं को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर ग्रामीण को निर्देश दिये जाते हैं कि सम्बन्धित थाने से सम्पर्क कर जब्त वस्तुओं का विधिवत अन्तिम निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate-III • JAIPUR •

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर